

URGENT

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27 (44)/ग्रावि-5/पीएमएवाई/मोनी-1/मीटिंग/2016-17 जयपुर, दिनांक 5 जुलाई, 2016

--: बैठक एजेण्डा ::--

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में जिला परिषदों के योजना प्रभारी (आवास)/परियोजना अधिकारी (अभि.) की बैठक माह जुलाई में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें ग्रामीण आवासीय योजना की प्रगति की निम्न एजेण्डा बिन्दुवार समीक्षा की जावेगी। एजेण्डावार सूचनाएं दिनांक 11.07.2016 तक pdengg\_rdd@yahoo.com पर प्रेषित करावें।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत SECC-2011 के आकड़ों से तैयार वरीयता सूची का ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में चर्चा।

पंचायत समिति	प्राप्त आपत्ती/अपीलों की संख्या			निस्तारित की गई आपत्ती/अपीलों की संख्या		निस्तारित न होने की स्थिति में कारण बताए (प्रपत्र- अ में प्राप्त)
	प्रपत्र- अ	प्रपत्र- ब	कुल	प्रपत्र- अ		

2. पीएमएवाई योजनान्तर्गत वरीयता सूची के प्रकाशन/आवास साफ्ट पर अपलोड करने पर चर्चा।

जिला.....

पंचायत समितिवार.....

पंचायत समिति	कुल ग्रा.पं	आवास साफ्ट पर वरीयता सूची अपलोड करने की प्रगति			अपलोड की गई वरीयता सूचियों के लाभार्थियों की संख्या				
		कुल ग्रा.पं.	ग्राम सभा की कार्यवाही अपलोड की गई ग्रा.पं. की सं.	शेष ग्रा.पं.	SC	ST	Minority	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3. गतवर्षों के निर्माणाधीन/अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु जिलेवार/माहवार आवंटित लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा।

31 मार्च, 2016 को निर्माणाधीन/अपूर्ण आवासों (CMBPL+IAY) की कुल संख्या	विवादित आवासों की संख्या							आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति (वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये आवास)	माह नवम्बर तक पूर्ण कराने की कार्ययोजना का विवरण (पृथक से संलग्न करें)
	अप्रारम्भ	पलायन	राशि दुरुपयोग (आवास शुरू कर बन्द)	मृत्यु	भूमि विवाद	निरस्त (किश्त राशि वसूल कर ली गई)	योग		

उक्त सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2016 आयोजित विडियो कोन्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्ययोजना के अनुसार विशेष अभियान चलाये जाने पर चर्चा।

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित दिनांक	प्रगति
1	CBS बैंक खाता एवं मोबाईल नम्बर का आवाससाफ्ट पर अपडेशन।	10 जुलाई	
2	Tag अधिकारी नियुक्त करना।	01 जुलाई	
3	लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर सहमति पत्र प्राप्त करना।	01 से 03 जुलाई	
4	महात्मा गांधी नरगा की मस्टररोल जारी करना एवं सहमति पत्र अनुसार किश्त हस्तान्तरण का प्रशासनिक आदेश जारी करना।	05 जुलाई	
5	लाभार्थियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित कर मस्टररोल व Geo Tagged फोटो प्राप्त करना।	16 से 20 जुलाई	
6	Geo Tagged फोटो अपलोड एवं प्राप्त मस्टररोलों का FTO जनरेट करना।	16 से 20 जुलाई	

4. मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने पर चर्चा :- प्रशिक्षण हेतु अकुशल श्रमिकों एवं आवासों का चयन उपरान्त प्रशिक्षण कार्ययोजना पर चर्चा।

5. वर्ष 2016-17 के आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवास स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रारूप अनुसार जिले की पंचायत समितिवार तैयार की गई कार्ययोजना पर चर्चा :-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित दिनांक
1	लक्ष्यानुसार 10 आवास पर 1 टैग अधिकारी नियुक्त करना।	11 जुलाई
2	चयनित लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर प्रोटोटाईपों के नक्शों, सामग्री, श्रम, एवं योजना व देय लाभों की जानकारी उपलब्ध कराना।	12 से 18 जुलाई
3	टैग अधिकारी चयनित लाभार्थी से सम्पर्क कर स्वीकृति हेतु दस्तावेज एकत्रित कर पंजीयन करना।	19 से 22 जुलाई
4	आवाससाफ्ट पर पंजीयन उपरान्त स्वीकृति जारी कर लाभार्थी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु मनरेगा अन्तर्गत मस्टररोल जारी करना।	22 से 26 जुलाई
5	लाभार्थियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित कर कार्य प्रारम्भ करने वाले लाभार्थियों को मस्टररोल का FTO व योजनान्तर्गत प्रथम किश्त जारी करना।	16 से 19 अगस्त
6	2 पखवाडे की मस्टररोल जारी करने/समझाईश के उपरान्त भी लाभार्थी द्वारा कार्य शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त कर वरीयता अनुसार अन्य लाभार्थी की स्वीकृति जारी करना।	01 से 05 सितम्बर

(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि को सूचनार्थ एवं बैठक व्यवस्था हेतु निर्देशित करने बाबत।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।
6. योजना प्रभारी/परियोजना अधिकारी (अभि), जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)